

धोखाधड़ी के आक्रमणों के लिए ग्राहकों को महत्वपूर्ण आरबीआई सूचना

- ऐसे किसी भी संदिग्ध ई-मेल का जवाब नहीं दें जो भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से होने का दावा करते हैं।
- इसे भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में लाना चाहिए कि “ अपने बैंक खातों के विवरण को अपडेट करने के लिए बैंक ग्राहकों को आमंत्रित करने वाले ” ई-मेल उसके नाम से भेजे जा रहे हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक स्पष्ट करता है कि उसने ऐसा कोई ई-मेल नहीं भेजा हैं। रिजर्व बैंक या बैंक किसी भी उद्देश्य से बैंक खाता विवरण पूछने के लिए ऐसा संप्रेषण कभी जारी नहीं करते। रिजर्व बैंक जनता को ऐसे ई-मेल पर जवाब नहीं देने और किसी भी प्रयोजन से किसी के भी साथ अपने बैंक खाता विवरणों को साझा नहीं करने की अपील करता है।
- धोखेबाज लोग पत्रों, ई-मेल, मोबाइल फोन, एसएमएस इत्यादि के ज़रिए जनता को आकर्षक प्रस्ताव भी भेजते हैं। ऐसे प्रस्ताव को विश्वसनीयता दिलाने के लिए अक्सर यह पत्राचार लेटरहेड्स पर किया जाता है / ऐसी वेबसाइटों से किया जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक जैसे कुछ सार्वजनिक प्राधिकरणों जैसी लगती हैं। प्रस्ताव पर ऐसे प्राधिकरणों के शीर्ष / वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर दिखते हैं। फिर भी शायद अधिकारियों के नाम भले सही हों लेकिन उनके हस्ताक्षर नकली होते हैं। प्रस्ताव दस्तावेज में तथाकथित आरबीआई अधिकारी के संपर्क विवरण मौजूद होंगे जो रिजर्व बैंक / सार्वजनिक प्राधिकरणों के किसी विभाग में कार्यरत होते हैं। रिजर्व बैंक जन सामान्य को विदेश से धन के ऐसे प्रस्तावों पर किसी भी तरह से जवाब देने के प्रति सावधान करता है।
- जन सामान्य को अज्ञात लोगों की ऐसी स्कीमों / प्रस्तावों में भाग लेने के प्रति कोई धन अंतरण करने के खिलाफ भी सतर्क किया जाता है क्योंकि ऐसे अंतरण अवैध होते हैं और ऐसे अंतरण प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से भारत से बाहर भेजने तथा जुटाने वाला भारत का कोई भी नागरिक फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट 1999 का उल्लंघन करते हुए कारवाई करने की भूल कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव धोखाधड़ी भरे होते हैं और जनता को ऐसे प्रस्ताव मिलने या ऐसे किसी धोखे का शिकार होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस / सायबर-क्राइम अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
- रिजर्व बैंक किसी भी नाम से किसी भी प्रकार की धन व्यवस्था का काम नहीं करता और ऐसे झूठे संवाद के जवाब में भेजे गए धन को वसूलने के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती।